जी आर मजीठिया से पहले जे.

जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर, हरियाणा रोडवेज,कर्ण अल,- याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1990 का 13344

28 मई, 1991.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-14 वर्षों के बाद जांच की कार्यवाही समाप्त हुई-जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया-अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक आरोप पर निष्कर्ष निकालने और कारण बताओ जारी करने से असहमत थे-निलंबन की अवधि पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते तक ही सीमित होगी- जांच में निष्कर्षों से मतभेद के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है - केवल असहमति की राय की अभिव्यक्ति अप्रासंगिक है - ऐसी असहमति रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित होनी चाहिए - कारण बताओ नोटिस और। परिणामी कार्यवाही रद्द की जा सकती है और याचिकाकर्ता को निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते का हकदार माना जाता है - लोक सेवकों के कामकाज के तरीके की निंदा की जाती है - लोक सेवकों के उदासीन रवैये पर न्यायालय की चिंता व्यक्त करने के लिए निर्देश जारी किया गया है।

(पैरा 4, 6 और 7)

माना गया कि दंड देने वाले प्राधिकारी ने यह राय नहीं दी कि वह सभी आरोपों के तहत जांच अधिकारी की सुविचारित रिपोर्ट से किस आधार पर असहमत थे। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से मतभेद के कारणों को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। केवल असहमति की राय व्यक्त करना अप्रासंगिक है।

माना गया कि यदि कारण बताओ नोटिस और अनुवर्ती कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है तो यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार होगा जब वह निलंबन में रहा।यदि भविष्य में पदोन्नति के लिए पहले से ही विचार नहीं किया गया है, तो वह आज से तीन महीने के भीतर, निलंबन आदेश और कारण बताए जाने के नोटिस की अनदेखी करने के बाद, विचार करने का हकदार होगा।वह उससे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा।यदि याचिकाकर्ता को इस फैसले के परिणामस्वरूप प्रतिवादी के हाथों प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, तो वह उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकता है।इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस फैसले की एक प्रति हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजें और मेरी चिंता से भी अवगत कराएं।

इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 के कठोर रवैये और यह भी मेरी अपेक्षा है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका, प्रार्थना करते हुए कि निम्नलिखित राहतें दी जाएं:

(a) मामले का रिकॉर्ड मंगवाया जाए और उसके अवलोकन के बाद, अनुलग्नक पी/एल, पी/2 और पी/5 को रद्द करते हुए सर्टिओरारी और परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(b) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उत्तरदाताओं को आदेश अनुलग्नक पी/एल, पी/2 और पी/6 के आधार पर रोके गए बकाया का पूरा भुगतान 18 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया जाए;

(c) ऊपर उल्लिखित अनुलग्नकों के आधार पर रोके गए परिणामी लाभों को प्रदान करना;

(d) अनुलग्नकों पी/एल से पी/13 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने और उत्तरदाताओं को नोटिस की सेवा से छूट दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील गोपी चंद।

प्रतिवादी की ओर से ए.जी. हरियाणा के वकील रत्नेश्वर मलिक।

न्याय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में इस अदालत से मांग की है कि अवैध रूप से रोके गए उसके बकाया वेतन को ब्याज सहित जारी किया जाए।

(2) तथ्य :

याचिकाकर्ता को हरियाणा रोडवेज, अंबाला के सबडिपो, कालका के प्रभारी निरीक्षक के रूप में काम करते समय, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निलंबित कर दिया गया था, - आदेश संख्या 154-ईए5/ई-द्वितीय, दिनांक 20 अप्रैल, 1973 और उसके बाद आरोप-उन्हें पत्र संख्या 5060/ईए5/ई-2, दिनांक 3 जुलाई 1973 द्वारा पत्र दिया गया था; कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए आरोप पत्र का जवाब दाखिल किया; प्रतिवादी नंबर 2 ने सहायक लेखा अधिकारी, हरियाणा रोडवेज, अंबाला को जांच अधिकारी नियुक्त किया, - आदेश संख्या 482/एई5/ईआईआई, दिनांक 15 जनवरी, 1974 के तहत; कि जांच अधिकारी 5 फरवरी, 1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया; कि जांच अधिकारी को जांच पूरी करने में 14 साल से अधिक का समय लगा, हालांकि याचिकाकर्ता ने जांच करने में जांच अधिकारी को हर संभव सहायता की पेशकश की थी; याचिकाकर्ता को जीवन निर्वाह भत्ते का केवल 50 प्रतिशत भुगतान किया गया, जबकि नियम में यह प्रावधान है कि यदि निलंबन छह महीने से अधिक समय तक जारी रहता है, तो निलंबित अधिकारी 75 की दर से जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार था। उनके वेतन का प्रतिशत, कि याचिकाकर्ता को 16 मई, 1978 को विभागीय जांच लंबित रहने तक सेवा में बहाल कर दिया गया था; जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2, - पत्र संख्या 17623-एई-एल/ई-द्वितीय दिनांक 4/5 अप्रैल, 1988 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसने जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताई है और उसने उनकी राय थी कि

निलंबन की अवधि उन्हें पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते तक ही सीमित रखी जाए और इस पत्र के साथ असहमति का कारण इस प्रकार है: -

"श्री जोगिंदर सिंह, इंस्पेक्टर, एचआर अंबाला के खिलाफ आरोप संख्या 5 के संबंध में, जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह साबित नहीं हुआ है क्योंकि कैशियर ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। आर.एस.ए. का बयान पहले से ही उपलब्ध था. जांच अधिकारी को उस पर भरोसा करना चाहिए था। हालाँकि, यह सच है कि आरोप-पत्र में कथित मकसद साबित नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों से नकदी प्राप्त करने के अपने अधिकार से परे काम करने के लिए, श्री जोगिंदर सिंह दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।"

याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर 1988 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया; उन्होंने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 को 5 सितंबर, 1989 और 6 जनवरी, 1990 को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(3) रिट याचिका 12 अक्टूबर, 1990 को मोशन सुनवाई के लिए आई और बेंच ने 13 दिसंबर, 1990 के लिए मोशन का नोटिस जारी किया। स्थगित तिथि पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

"उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से श्री गोपी चंद, वकील। राज्य की ओर से श्री एस.के. सूद, वकील। श्री सूद ने रुपये के दो ड्राफ्ट प्रस्तुत किये हैं। 12,013 और रु. याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि की बकाया राशि के लिए याचिकाकर्ता के वकील को क्रमशः 1,930 रु."

"14 फरवरी, 1991 को बहस के लिए। उत्तर, यदि कोई हो, 7 फरवरी, 1991 तक दाखिल किया जाए।"

उत्तरदाताओं को 7 फरवरी, 1991 तक रिट याचिका पर उत्तर, यदि कोई हो, दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। 14 फरवरी, 1991 को खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किये:-

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से श्री गोपी चंद, वकील। श्री एस.के. सूद, ए.ए.जी., हरियाणा।

6 मई 1991 को प्रवेश दिया गया। सूची में ऊपर।

"जब तक याचिकाकर्ता विभागीय जांच में दोषी नहीं पाया जाता, तब तक निलंबन अवधि के लिए निलंबन भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।"

रिट याचिका 7 मई, 1991 को अंतिम सुनवाई के लिए आई। राज्य के विद्वान वकील कारण बताओ नोटिस के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अदालत को सूचित नहीं कर सके। प्रतिवादी न्यायालय के निर्देशानुसार लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहे। आदेश VIII, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उत्तरदाताओं का बचाव रद्द कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, याचिका में दिए गए कथनों को सही माना जाना चाहिए क्योंकि उत्तरदाताओं को अवसर दिए जाने के बावजूद ये विवादित नहीं थे।

(4) यह मामला राज्य के पदाधिकारियों के संवेदनहीन और मानवीय रवैये को उजागर करने वाले दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। लोक सेवकों से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि जाहिर तौर पर उनका कार्य निष्पक्ष दिखना चाहिए, हालाँकि कानून में उनसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और उनके प्रत्येक कार्य के पीछे कानूनी मंजूरी होनी चाहिए। लेकिन, वर्तमान मामले में, परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि राज्य के पदाधिकारियों ने इसके विपरीत कार्य किया। याचिकाकर्ता को 20 अप्रैल, 1973 को निलंबित कर दिया गया था। 3 जुलाई, 1973 को उसे आरोप पत्र दिया गया था। उसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता द्वारा आरोप पत्र का जवाब दायर किया गया था, लेकिन जांच अधिकारी 15 जनवरी, 1974 को नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने 5 फरवरी, 1988 को याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिवादी नंबर 2 जांच अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और, दिनांक 4/5 अप्रैल, 1988 के आदेश के माध्यम से, उसने याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के कारणों से अवगत कराया और यह भी राय दी कि निलंबन की अवधि को सीमित किया जाए। उसे निर्वाह भत्ता पहले ही दिया जा चुका है। असहमति का कारण केवल आरोप संख्या 5 के संबंध में था। आरोप संख्या 5 इस प्रकार है: -

"कि आप पार्टियों को बिना किसी अधिकार के अस्थायी रसीद देकर नकद प्राप्त कर रहे थे। यह आपके द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से किया गया था।"

इस आरोप के संबंध में जांच अधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कैशियर की अनुपस्थिति में पार्टियों को अस्थायी रसीदें जारी कीं, लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ता को कोई मकसद नहीं बताया जा सका।नियमित रसीदों के स्थान पर अस्थायी रसीदें जारी करना, जिन्हें कैशियर द्वारा जारी किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने आरोप संख्या 5 के तहत अपने निष्कर्ष के संबंध में जांच अधिकारी के साथ मतभेद के कारणों को नहीं बताया। वाहनों की बुकिंग के लिए अस्थायी रसीद जारी करना यह इंगित नहीं करता है कि याचिकाकर्ता ने गलत इरादे से काम किया था। ऐसा कोई आरोप नहीं था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त धन का दुरुपयोग किया गया था। उनके खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि उन्होंने अपने हस्ताक्षरों के तहत अस्थायी रसीदें जारी कीं और नियमों के अनुसार एक नियमित रसीद जारी की जानी चाहिए। संभवतः याचिकाकर्ता के साथ वाहन बुक करके और अग्रिम भुगतान प्राप्त करके अपने नियोक्ता के लिए अधिक पैसा कमाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी की तरह व्यवहार किया गया होगा। जब तक कोई आरोप या सबूत न हो कि पैसे का दुरुपयोग किया गया है, याचिकाकर्ता के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। प्रतिवादी क्रमांक 2 का यह कहना उचित नहीं था कि निलंबन अवधि याचिकाकर्ता के जीवन निर्वाह भत्ते तक ही सीमित रहेगी। आरोप संख्या 5 के तहत जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का कारण पूरी तरह से अस्थिर था और रिकॉर्ड पर साबित तथ्यों से अनुचित था। प्रतिवादी नंबर 2 ने यह राय नहीं दी कि वह किस आधार पर सभी आरोपों के तहत जांच अधिकारी की सुविचारित रिपोर्ट से असहमत था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से मतभेद के कारणों को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। केवल असहमति की राय व्यक्त करना अप्रासंगिक है।

(5) इसके अलावा याचिकाकर्ता को 5 साल से अधिक समय तक निलंबित रखने और 15 साल तक विभागीय जांच चालू रखने का कोई औचित्य नहीं था. निलंबन के आदेश का अधिकारी पर हतोत्साहित प्रभाव पड़ा। आरोप-पत्र के अनुसरण में आदेशित अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त होने में 14 वर्ष लग गए। याचिकाकर्ता को सभी

आरोपों से बरी कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 पूरी तरह से अवैध कारणों से आरोप संख्या 5 के तहत जांच रिपोर्ट से असहमत था। याचिकाकर्ता को 4/5 अप्रैल, 1988 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उसके तुरंत बाद कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया, लेकिन नहीं कार्रवाई की गई थी. यदि कारण बताओ नोटिस और अनुवर्ती कार्रवाई रद्द कर दी जाती है तो यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा मानसरंजन दास बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य[1] (1) में इसी तरह का पाठ्यक्रम अपनाया गया था। आर. एन. मिश्रा, जे. (अब माई लॉर्ड भारत के मुख्य न्यायाधीश) इस प्रकार आयोजित खंडपीठ के लिए बोल रहे हैं: -

"यह माना जाता है कि एक बार ऐसी आपराधिक कार्यवाही होने पर याचिकाकर्ता को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन हमें 1964 में किए गए निलंबन आदेश को 1972 तक जीवित रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता। यह कष्टप्रद और अक्षम्य था और इसका एक सार्वजनिक अधिकारी पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव था। एक सार्वजनिक अधिकारी को बिना किसी औचित्य के लगभग आठ वर्षों तक निलंबित रखने में कार्यालय प्रमुख द्वारा दिखाई गई घोर उदासीनता (हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्यवाही को बिना किसी बहाने के इतनी लंबी अवधि तक चालू रखा गया था) ने आदेश को रद्द करने को उचित ठहराया। तदनुसार, हम निलंबन आदेश और अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करते हैं।"

(6) सुब्रत चाकी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने जांच की कार्यवाही को रद्द कर दिया क्योंकि जांच के समापन में काफी देरी हुई थी और इस प्रकार कहा गया था: -

"तत्काल मामले में उस घटना के संबंध में आरोप तय किए गए जो कथित रूप से 3 मार्च, 1981 को कलकत्ता के कलेक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 के कक्ष में हुई थी।वास्तव

---

(1) 1973(2) S.L.R 553
(2) 1985(3) S.L.R 530

में, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने अन्य *बातों* के साथ-साथ हिंसक प्रदर्शन किया।आरोप-पत्र के संलग्नक ने संकेत दिया कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप आठ व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य द्वारा बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया था।आरोप-पत्र में अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है।संभवतः मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी ने अपीलार्थियों के खिलाफ उक्त आरोप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।यदि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अब शुरू की जाती है तो अपीलार्थियों के गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त होने की संभावना है।हम प्रतिवादी को जांच करने के लिए और समय देने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि उन्होंने खुद यह नहीं बताया है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की।"

(7) उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाः–

4/5 अप्रैल, 1988 के पत्र संख्या 17623-ए. ई.-1ई.-2 में निहित कारण दर्शाओ नोटिस को रद्द कर दिया गया है।याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार होगा।यदि पहले से ही भविष्य में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया है, तो वह निलंबन आदेश की अनदेखी करने के बाद विचार करने का हकदार होगा और आज से तीन महीने के भीतर कारण बताएँ नोटिस।वह उससे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा।यदि याचिकाकर्ता को इस फैसले के परिणामस्वरूप प्रतिवादी के हाथों प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, तो वह उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकता है।इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की एक प्रति हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजें और इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 के कठोर रवैये पर मेरी चिंता से भी अवगत कराएं और यह भी उम्मीद करें कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी।इस मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा

उप

उप

नहीं होगी। इसी मामले में प्रतिवादी संख्या 2 के कठोर रवैये और यह भी मेरी अपेक्षा है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति

द   भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 *के तहत सिविल रिट याचिका, प्रार्थना करती है कि निम्नलिखित राहत*